न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 25/2021

1. दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एमआई रोड जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव

......प्रार्थी

बनाम

1. आलोक दीक्षित पुत्र विपिन बिहारी दीक्षित, निवासी प्लाट नंबर 23, देविका नगर, रोड नंबर 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर राज0 302013

एवं

कार्यालय पताः– सी–61 ए, रोड नंबर 1, वी.के.आई. जयपुर राज0 302013

एवं

संपत्ति पताः–जेड/एस एफ/3, ई डब्ल्यू एस अमित कॉलोनाईजर्स, जिरोता खुर्द दौसा राज0 303303(ऋणी)

2. विपिन बिहारी दीक्षित पुत्र श्री भगवती प्रसाद दीक्षित, निवासी प्लाट नंबर 23, देविका नगर, रोड नंबर 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर राज0 302013 (सहऋणी)

.......अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी।

आदेश दिनांकः 12.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी आलोक दीक्षित पुत्र विपिन बिहारी दीक्षित, निवासी प्लाट नंबर 23, देविका नगर, रोड नंबर 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर राज0 302013 एवं कार्यालय पता– सी–61 ए, रोड नंबर 1, वी.के.आई, जयपुर को 146805/–(रूपये एक लाख छियालीय हजार आठ सौ पांच मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय आवास संख्या जेड/एस एफ/3, ई डब्ल्यू एस अमित कॉलोनाईजर्स, जिरोता खुर्द दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 26 अगस्त 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा